समग्र शिक्षा अभियान
(सेकेण्ड्री एजुकेशन)
लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/समग्र शि.अ. /कम्प्यू.इन्स्ट्रक्टर/2026-27/ 2646 भोपाल, दिनांक - 24/08/2026.

प्रति

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्य प्रदेश

विषय- समग्र शिक्षा अभियान एवं PMSHRI योजनान्तर्गत अकादमिक वर्ष 2026-27 में ICT इंस्ट्रक्टर, स्पेशल एजुकेटर एवं अन्य को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में |

सन्दर्भ– संचालनालय का पत्र क्रमांक /समग्र शि.अ/कम्पयू.इंस्ट्रक्टर/2026-27/2612 भोपाल, दिनांक-13/08/2026

उपरोक्त विषयांतर्गत अकादमिक सत्र 2026-27 में समग्र शिक्षा एवं पीएमश्री योजना के अंतर्गत कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर,स्पेशल एजुकेटर,प्री-प्राईमरी शिक्षक, क्रीडा शिक्षक एवं संगीत शिक्षक के लिए आवेदकों को एजुकेशन पोर्टल अंतर्गत 3.0 POMS माड्यूल द्वारा आमंत्रित करने की प्रक्रिया प्रचलन में हैं |

शैक्षणिक सत्र 2026-27 में आमंत्रित करने संबंधी कार्यवाही एजुकेशन पोर्टल अंतर्गत 3.0, POMS माड्यूल के माध्यम से उपरोक्त वर्णित श्रेणियों में संचालनालय का पत्र क्रमांक /समग्र शि.अ/कम्पयू.इंस्ट्रक्टर/2026-27/2612 भोपाल, दिनांक 13/08/2026 में जरी समय- सारणी को संशोधित करते हुए नवीन समय - सारणी अनुसार कार्यवाही किया जाना है-

क्र.	गतिविधियां	कार्यवाही स्तर	समयसीमा
1	शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए, आवेदक द्वारा शाला विकल्प का चयन उपरांत, मेरिट अनुसार आबंटित विद्यालय में आवेदक द्वारा उपस्थिति रिक्वेस्ट भेजना |	आवेदक द्वारा	24-08-2026 से 26-08-2026
2	शाला प्रभारी, आवेदक द्वारा पोर्टल पर अपलोड दस्तावेज़ को मूल दस्तावेज़ से मिलान कर उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण करना |	शाला प्रभारी द्वारा	24-08-2026 से 27-08-2026

2. तलिका-1 में उल्लेखित समयसारिणी के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आवेदक के द्वारा दर्ज रिक्वेस्ट को शाला प्रभारी के प्रमाणीकरण उपरांत दिनांक 27.08.2026 से आवेदक को शाला में उपस्थित कराया जाए तथा कार्यवाही को एस.एम.डी.सी की बैठक में अनुमोदित किया जाए।
3. **शाला प्रभारी, आवेदक द्वारा पोर्टल पर अपलोड दस्तावेज़ को मूल दस्तावेज़ से भलीभांति मिलान करने के उपरान्त ही आवेदक को आमंत्रित करें, यदि गलत दस्तावेज़ पाया जाता है तो उपस्थिति रिक्वेस्ट को निरस्त करें, अन्यथा सम्पूर्ण जिम्मेदारी शाला प्रभारी की होगी|**
4. सभी उपरोक्त वर्णित श्रेणीयों में आमंत्रित मैनपावर को **"Outsource Manpower"** एप पर उपस्थति दर्ज करनी होगी|
5. आईसीटी कम्प्यूटर लैब के स्थापित होने की स्थिति में कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर को उपस्थित कराया जाये।
6. जिन विद्यालयों में प्री-प्राईमरी शिक्षक , क्रीडा शिक्षक एवं संगीत शिक्षक (गायन-वादन) विषय में शिक्षकों के पद स्वीकृत एवं भरे हुये हों वहां प्री-प्राईमरी शिक्षक, क्रीडा शिक्षक एवं संगीत शिक्षक को आमंत्रित नहीं किया जायेगा तथा भविष्य में यदि उक्त श्रेणी के शिक्षकों की पदस्ती होती है तो सम्बंधित विषय में आमंत्रित मैनपावर को निरंतर नहीं रखा जायेगा।

(अपर परियोजना संचालक द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
Maneesh Verma
Date: 24-08-2026
15:39:04

(मनीष वर्मा)
अपर परियोजना संचालक
समग्र शिक्षा अभियान(से.एजु.)
मध्यप्रदेश